The Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission Act, 2023

Act No. 24 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 15, बुधवार, *शाके* 1945-सितम्बर 06, 2023
Bhadra 15, Wednesday , Saka 1945- September 06, 2023

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 5, 2023

संख्या प.2(43)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 24)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 सितम्बर, 2023 को प्राप्त हुई)

उन कृषकों को, जो ऋणग्रस्तता के कारण संकट में हैं, राहत प्रदान करने के लिए न्यायनिर्णयन के पश्चात् पंचाट पारित करने और सुलह और बातचीत के माध्यम से ऐसे कृषकों की शिकायतों के निवारण के लिए समुचित अध्युपायों की सिफारिश करने हेतु सशक्त एक आयोग के गठन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है: -

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग अधिनियम, 2023 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "कृषि" में बागवानी, औषधीय पौधों की खेती करना और उगाना, फसलें और अंतर-फसलें, फल, वनस्पति, फूल, घास, चारा घास और वृक्ष या मृदा की किसी भी प्रकार की खेती, नर्सरी संचालित करना, मत्स्य, मधुमक्खी, रेशमकीट, कुक्कुट, बतख, पशु या सुअर को सम्मिलित करते हुए पशुधन का प्रजनन और पालन और कृषि सहबद्ध क्रियाकलाप या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग, सम्मिलित है;

(ख) "कृषि श्रमिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अभिधारी द्वारा उसको संदेय मजदूरी के प्रतिफलस्वरूप में ऐसे अभिधारी की कृषि भूमि पर, कार्य करता है या कोई अन्य कृषि संक्रिया करता है;

(ग) "ऋण का समुचित स्तर" से धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन ऋणी द्वारा यथा प्रतिसंदेय आयोग द्वारा अवधारित रकम अभिप्रेत है;

(घ) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "सहकारी सोसाइटी" से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सोसाइटी अभिप्रेत है;

(च) "लेनदार" से कोई सहकारी सोसाइटी या राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य संस्था, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, अभिप्रेत है;

(छ) "ऋण" से इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किसी कृषक से शोध्य कोई दायित्व, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत, चाहे किसी संविदा के अधीन या किसी न्यायालय या अधिकरण की किसी डिक्री या आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हो, अभिप्रेत है और इसमें किसी संस्थागत लेनदार या किसी सहकारी सोसाइटी को संदेय कोई राशि सम्मिलित है;

(ज) "जिला" से कोई राजस्व जिला अभिप्रेत है;

(झ) "संकटग्रस्त क्षेत्र" से राज्य में, सरकार द्वारा घोषित राजस्व जिला या जिले या उसका कोई भाग अभिप्रेत है;

(ञ) "संकटग्रस्त फसल" से सरकार द्वारा घोषित राज्य की कोई फसल या फसलें अभिप्रेत हैं;

(ट) "संकटग्रस्त कृषक" से आयोग द्वारा इस प्रकार घोषित कोई कृषक अभिप्रेत है और इसमें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए कृषि श्रमिक सम्मिलित है;

(ठ) "ब्याज की उचित दर" से इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित ब्याज की दर अभिप्रेत है;

(ड) "कृषक" से कोई व्यक्ति जो अभिधारी या उप-अभिधारी, कब्जा पट्टे में अनुज्ञप्तिधारी या बंधकदार है, अभिप्रेत है, इसमें सीमांत कृषक और लघु कृषक सम्मिलित हैं जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है और इसमें कृषि श्रमिक भी सम्मिलित है;

(ढ़) "वित्तीय संस्था" से किसी केन्द्रीय अधिनियम, तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा गठित और सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन और नियंत्रित कोई वित्तीय संस्था अभिप्रेत है;

(ण) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(त) "संस्थागत लेनदार" से भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) के अर्थान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक या कोई समनुषंगी बैंक या कोई अनुसूचित बैंक अभिप्रेत है;

(थ) "ब्याज" से उधार ली गई मूल रकम या धन संबंधी उपगत बाध्यता से अधिक संदेय कोई रकम, चाहे ऐसी रकम को किसी भी नाम से, पुकारा जाए, चाहे वह दस्तावेज या संविदा, यदि कोई हो, में अभिव्यक्त रूप से उल्लिखित हो या नहीं हो, अभिप्रेत है;

(द) "सीमांत कृषक" से एक हेक्टेयर तक असिंचित भूमि रखने वाला या आधे हेक्टेयर तक सिंचित भूमि रखने वाला कोई खेतिहर अभिप्रेत है;

(ध) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष सम्मिलित है;

(न) "शास्तिक ब्याज" से ऋण पर ब्याज से अधिक संदेय कोई रकम अभिप्रेत है;

(प) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(फ) "मूल रकम" से किसी ब्याज को मूलधन मानने के किसी अनुबंध के होने पर भी और ऋण के नवीनीकृत होने पर भी, चाहे उसी कृषक या उसके वारिसों, समनुदेशितियों, या विधिक प्रतिनिधियों या उसकी ओर से या उसके हित पर कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रकम, यदि कोई हो, जो पश्चात्वर्ती दी गई हो, के साथ मूल रूप से दी गई रकम अभिप्रेत है;

(ब) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत है;

(भ) "सचिव" से धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त आयोग का सचिव अभिप्रेत है;

(म) "लघु कृषक" से दो हेक्टेयर तक की असिंचित भूमि रखने वाला या एक हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि रखने वाला, किंतु सीमांत कृषक से ज्यादा भूमि रखने वाला कोई कृषक अभिप्रेत है; और

(य) "राज्य" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. आयोग का गठन.- (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिये "राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग" के नाम से एक आयोग का गठन करेगी।

(2) आयोग पांच सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(i)	उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश	- अध्यक्ष;
(ii)	भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव के रूप में सेवा दी हो	- सदस्य;
(iii)	एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी जिसने जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रूप में सेवा दी हो	- सदस्य;
(iv)	बैंकिंग/लेखा/वित्तीय सैक्टर के अनुभव वाला एक सेवानिवृत्त अधिकारी	- सदस्य; और
(v)	एक कृषि विशेषज्ञ	- सदस्य।

(3) अध्यक्ष और सदस्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(4) सरकार, राजस्थान सहकारी सेवाओं में से (जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार से नीचे की रैंक का न हो) एक अधिकारी को सचिव के रूप में और अन्य कर्मचारिवृंद को, जैसा कि आवश्यक हो, ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, आयोग की सहायता के लिये नियुक्त करेगी।

(5) उप-धारा (4) में निर्दिष्ट सचिव और अन्य कर्मचारिवृंद अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन होंगे।

4. आयोग की पदावधि और सदस्यों की सेवा की शर्तें.- (1) आयोग की पदावधि तीन वर्ष की होगी। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु सरकार ऐसी कालावधि का विस्तार कर सकेगी, यदि आवश्यक समझे।

(2) कोई सदस्य सरकार को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से पदत्याग कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आयोग के किसी सदस्य के पदत्याग या अन्यथा के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति इस अधिनियम की धारा 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार भरी जायेगी:

परंतु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, उस व्यक्ति जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, के पद की शेष कालावधि के लिए ही पद पर रहेगा।

(4) सरकार किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह,-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया घोषित है;

(ख) शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण इस तरह निरंतर बने रहने में असमर्थ हो जाता है;

(ग) विकृतचित्त हो गया है और सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;

(घ) किसी अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता या वित्तीय अनियमितता अंतर्वलित है, का दोषी रहा है;

(ङ) सरकार की राय में, अपने शासकीय पद का दुरूपयोग इस प्रकार करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में प्रतिकूल प्रभाव डालता है:

परंतु व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही से पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जा सकेगा।

(5) आयोग अपने कार्य के संचालन के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(6) अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते, और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसीकि विहित की जाये।

5. आयोग की शक्तियां और कृत्य.- आयोग के पास ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं, और विशिष्टतया,-

(क) सरकार को या तो स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसा उचित समझा जाये और सरकार द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्र या, यथास्थिति संकटग्रस्त फसल के रूप में कोई जिला या जिले या उनका भाग या कोई फसल या फसलें, घोषित करने के लिए यथाविहित ऐसे सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन रहते हुए सिफारिश करना और ऐसी जांच और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्यधीन रहते हुए किसी कृषक को आवेदन पर संकटग्रस्त कृषक घोषित करना;

(ख) संस्थागत लेनदारों से भिन्न लेनदारों के मामले में, संकटग्रस्त के रूप में घोषित कृषक द्वारा संदत्त किया जाने वाला या धारा 6 के अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र या, यथास्थिति, संकटग्रस्त फसल के रूप में घोषित क्षेत्र या फसल से संबंधित ब्याज की उचित दर और ऋण का समुचित स्तर, जैसा आयोग द्वारा न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा जाये, नियत करना;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन नियत ब्याज की उचित दर और ऋण के समुचित स्तर के आधार पर ऋणग्रस्त कृषकों और संस्थागत लेनदारों से भिन्न लेनदारों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए सुलह करना;

(घ) खण्ड (ख) में उल्लिखित कृषकों और संस्थागत लेनदारों से भिन्न लेनदारों के बीच विवादों का न्यायनिर्णय करना और पंचाट पारित करना जो दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा:

परंतु इस खण्ड के अनुसार कोई पंचाट पारित करने से पूर्व लेनदार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा;

(ङ) खण्ड (ख) में उल्लिखित कृषकों को लोन अधित्यजन, ब्याज दर राहत, लोन रिशेड्यूल करना या लोन अधिस्थगन के लिए लेनदारों से बातचीत करना;

(च) सरकार को कृषकों को प्रदान किये जाने वाले ऋण राहत के विस्तार और रीति जिससे वह दिया जायेगा, के संबंध में सिफारिश करना;

(छ) सरकार को पूर्ण या आंशिक ऋण वापस ले लेने और कृषक को ऋण के प्रभावों से नियुक्त करने के लिए सिफारिश करना;

(ज) सरकार को ऐसे कार्य करने के लिए सिफारिश करना, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि कृषकों की भावी ऋण आवश्यकताएं ऐसी एजेन्सियों के माध्यम से पूरी हो जायेंगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(झ) सामान्यत: कृषक ऋणग्रस्तता से संबंधित किसी मामले पर सरकार को कालिक रिपोर्ट देना; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) आयोग, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कृषकों के सभी ऋणों का लेनदारों को प्रतिसंदाय, फसल की प्रकृति और फसल हानि को ध्यान में रखते हुए कम से एक वर्ष किंतु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखते हुए आदेश जारी कर सकेगा:

परंतु ऐसे आदेश उप-धारा (1) के अधीन पंचाटों और निदेशों के अध्यधीन होंगे।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन आयोग द्वारा पारित पंचाट अंतिम होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(4) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन आयोग का पंचाट सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के उपबंधों के अधीन निष्पादित किया जायेगा, जैसे कि वह सिविल न्यायालय की डिक्री है।

(5) आयोग को इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजन के लिये, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के दौरान सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति की उपस्थिति और उसको बुलाया जाना और शपथ पर उसका परीक्षण;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) साक्ष्यों के परीक्षण या स्थानीय अन्वेषण के लिए कमीशन जारी करना;

(ङ) किसी संपत्ति या वस्तु का निरीक्षण करना जिसके संबंध में कोई विनिश्चय लिया जाना है;

(च) किसी न्यायालय, आयोग या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

(6) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अं तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी मूल, ब्याज और शास्तिक ब्याज, यदि कोई हो, के अधित्यजन के तौर पर कृषक को दी गई ऋण राहत, किये गये परिनिर्धारण के पश्चात् यदि ऐसा ऋण दो लाख रुपये या कम है तो पचहत्तर प्रतिशत और यदि ऐसा ऋण दो लाख रुपये से अधिक है या चार लाख रुपये, जो भी कम हो, तो पचास प्रतिशत या सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा अधिसूचित किया जाये।

(7) आयोग अपने विनिश्चय के पुनर्विलोकन के लिए सशक्त है।

6. किसी क्षेत्र या फसल को संकटग्रस्त क्षेत्र या संकटग्रस्त फसल के रूप में घोषित करना.- धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्त शीघ्र, सरकार किसी क्षेत्र या फसल को, संकटग्रस्त क्षेत्र या, यथास्थिति, संकटग्रस्त फसल के रूप में घोषित करेगी।

7. ऋण से राहत के लिए आवेदन.- इस अधिनियम के अधीन किसी भी ऋण से राहत के लिए दावा करने वाला कोई कृषक, आयोग के समक्ष ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में आवेदन फाइल करेगा, जैसाकि विहित किया जाये।

8. आयोग की बैठकें.- (1) आयोग अपनी बैठकें ऐसे स्थान और ऐसे समय पर आयोजित करेगा, जैसाकि उसके द्वारा अवधारित किया जाये:

परन्तु आयोग अपनी बैठकें संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित क्रमश: जिले/जिलों में संकटग्रस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए करेगा।

(2) आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति तीन होगी।

(3) समुचित मामलों में, आयोग जैसा वह उचित समझे, दो या अधिक सदस्यों वाली एक न्यायपीठ के गठन द्वारा जिलों में बैठकें रखेगा:

परन्तु आयोग द्वारा न्यायपीठ के गठन की दशा में, न्यायपीठ की बैठक के लिए गणपूर्ति उस न्यायपीठ के सदस्यों की कुल संख्या या दो, जो भी कम हो, से होगी।

9. कृषक द्वारा लिए गए कतिपय उधारों के निपटान के संबंध में विशेष उपबंध.- (1) इस अधिनियम में या या किसी अन्य विधि या संविदा या किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य,-

(क) वित्तीय संस्थाओं से किसी कृषक द्वारा लिए गये ऋणों के सम्बन्ध में, अल्पकालिक उधारों को मध्यम अवधि उधारों में और मध्यम अवधि उधारों को दीर्घकालीन उधारों में रिशेड्यूल करने, या

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, अनुपयोज्य आस्तियों के प्रवर्ग के अधीन आने वाले कृषि उधारों के एक बारीय निपटान के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने, या

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहमति के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानकों के अनुसार शास्तिक ब्याज को अधित्यजन करने,

के लिए बात-चीत प्रारम्भ कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन उधार का कोई निपटारा किया गया है, उक्त कृषक सम्बन्धित बैंक को ऐसा उधार ऐसे बैंक द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिसंदत्त करने के लिए आबद्धकर होगा।

10. वित्तीय संस्थाओं से किसी कृषक द्वारा लिये गये उधारों को रिशेड्यूल करना.- (1) इस अधिनियम में या किसी अन्य विधि या संविदा या किसी न्यायालय या अधिकरण की डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित किसी वित्तीय संस्था से किसी करस्थम् प्रभावित कृषक या धारा 6 के अधीन संकटग्रस्तक्षेत्र, करस्थम् प्रभावित फसल के रूप में घोषणा की तारीख पर या पूर्व धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी कृषक द्वारा लिये गये उधारों की वसूली रिशेड्यूल कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन उधार की रिशेड्यूलिंग की गयी हो, वहां कृषक, आयोग द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर-भीतर संबंधित वित्तीय संस्था को ऐसा उधार ब्याज सहित प्रतिसंदत्त करने के लिए आबद्धकर होगा:

परन्तु आयोग कृषक द्वारा आवेदन करने पर, इस प्रकार रिशेड्यूल की गयी कालावधि के लिए उधार के प्रतिसंदाय से, कारणों को अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा उसे छूट दे सकेगा:

परन्तु यह और कि कृषक, आयोग द्वारा इस प्रकार नियत, ऐसी बाद की तारीखों पर उस प्रतिसंदाय के लिए आबद्धकर होगा।

11. वाद, आवेदन और अन्य कार्यवाहियों का वर्जन.- धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित किसी कृषक के विरूद्ध ऋण की वसूली के लिए कोई वाद संस्थित नहीं किया जायेगा, या ऋण के संबंध में किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन नहीं किया जायेगा और किसी सिविल न्यायालय, या अधिकरण या अन्य किसी प्राधिकरण में ऐसे कृषक के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये या किये गये ऐसे वाद या आवेदन में किसी डिक्री या आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन के लिए कोई अपील, पुनरीक्षण याचिका या आवेदन नहीं किया जायेगा और किसी जिले या उसके भाग को संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित होने की तारीख से पूर्व और ऐसी तारीख पर लम्बित, ऐसे किसी कृषक के विरूद्ध संस्थित किये गये या किये गये ऐसे वादों, आवेदनों, अपीलों तथा याचिकाओं पर ऐसी कालावधि के लिए रोक रहेगी, जैसा आयोग इस निमित्त सिफारिश करे।

12. किस्तों में ऋण का संदाय.- (1) किसी विधि या संविदा में या किसी न्यायालय या अधिकरण की किसी डिक्री या ओदश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कोई कृषक प्रत्येक संदाय के समय बकाया मूल रकम पर, ऐसी रीति में जैसा आयोग द्वारा निदेशित किया जाये, आयोग द्वारा सिफारिश की गयी ब्याज की उचित दर के साथ यथोचित किस्तों में अपने ऋणों को चुका सकेगा और आयोग द्वारा निदेशित की गयी रीति में इसके संदाय पर, सम्पूर्ण ऋण चुका दिया गया समझा जायेगा।

(2) जहां ऋण की कोई किस्त, आयोग द्वारा निदेशित की गयी नियत तारीख पर संदत्त नहीं की जाती है, तब लेनदार ऐसी रीति में, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये, वसूली करने का हकदार होगा:

परन्तु इस धारा के अधीन आयोग, द्वारा विनिश्चय करने से पूर्व, कृषक को सुने जाने का अवसर दिया जायेगा।

13. ऋण पूर्णत: प्रतिसंदत्त समझा जायेगा.- इस अधिनियम में या किसी विधि या संविदा में या किसी न्यायालय या अधिकरण की किसी डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कृषक ने उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गयी मूल रकम और संस्थागत लेनदार से भिन्न, लेनदार को इसके बराबर रकम चुका दी है तब ऋण उक्त कृषक द्वारा पूर्णरूप से प्रतिसंदत्त कर दिया गया समझा जायेगा।

14. वार्षिक रिपोर्ट का राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना.- (1) आयोग इस अधिनियम के अधीन उस वर्ष के अपने कृत्य की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख पर या पूर्व ऐसे प्ररूप में सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गयी वार्षिक रिपोर्ट, सरकार द्वारा इसे प्राप्त करने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

15. लेखे और संपरीक्षा.- (1) आयोग ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाये, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखे, महालेखाकार द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, संपरीक्षित किये जायेंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में कोई व्यय आयोग द्वारा महालेखाकार को संदेय किया जायेगा।

(3) संपरीक्षित रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.- इस अधिनियम से भिन्न, किसी विधि या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध या इसके अधीन बनाया गया कोई नियम या आदेश प्रभावी होंगे।

17. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले का अवधारण या निपटारा, विनिश्चय या किसी प्रश्न पर विचार करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियम द्वारा सरकार या आयोग द्वारा अवधारित किया जाना या निपटाया जाना, विनिश्चित किया जाना या विचार किया जाना अपेक्षित हो:

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 5 की उप-धारा (4) के अधीन की गयी निष्पादन की कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी।

18. आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक समझा जाना.- धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट आयोग का प्रत्येक सदस्य और धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन सचिव और अन्य कर्मचारिवृन्द भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

19. सद्भावपूर्वक किये गये कार्य के लिए संरक्षण.- आयोग के सदस्य या सचिव या अन्य अधिकारियों के विरुद्ध इस अधिनियम, या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन, या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

20. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, आदेश द्वारा, अवसर की अपेक्षानुसार ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

21. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिवस की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 5, 2023

No. F. 2(43)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Rajya Krishak Rin Rahat Aayog Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 24):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE FARMERS DEBT RELIEF COMMISSION ACT, 2023
(Act No. 24 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 2nd day of September, 2023)

An
Act

to provide relief to those farmers who are in distress due to indebtedness, by constituting a Commission with power to pass awards after adjudication and to recommend appropriate measures for the redressal of the grievances of such farmers through conciliation and negotiation and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "agriculture" includes horticulture, farming and growing of medicinal plants, crops and intercrops, fruits, vegetables, flowers, grass, fodder grass and trees or any kind of cultivation of soil, conducting nursery, breeding and keeping of live stock including fish, bees, silkworm, poultry, duck, cattle or pig and the use of land for agriculture allied activities or any other agricultural purposes;

(b) "agricultural labourer" means a person who, in consideration of the wages payable to him by a tenant, works on the agricultural land of such tenant or does any other agricultural operation;

(c) "appropriate level of debt" means the amount determined by the Commission as repayable by the debtor under clause (b) of sub-section (1) of section 5;

(d) "Commission" means the Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission constituted under section 3;

(e) "co-operative Society" means a society registered or deemed to have been registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001(Act No. 16 of 2002);

(f) "creditor" means any co-operative society or any other institution as may be notified by the Government;

(g) "debt" means any liability, whether secured or unsecured due from a farmer on or before the commencement of this Act, whether payable under a contract, or under a decree or order of any court or tribunal or otherwise and includes any sum payable to an institutional creditor or a co-operative society;

(h) "district" means a revenue district;

(i) "distress affected area" means revenue district or districts or part thereof in the State, declared by the Government;

(j) "distress affected crop" means any crop or crops of the State declared by the Government;

(k) "distress affected farmer" means a farmer declared as such by the Commission and includes agricultural labourer for the purpose of this Act;

(l) "fair rate of interest" means the rate of interest determined by the Commission under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of this Act;

(m) "farmer" means a person who holds whether as tenant or sub-tenant, licensee or mortgagee in possession lease, including marginal farmers and small farmers, whose principal means of livelihood is agriculture and includes an agricultural labourer;

(n) "financial institution" means any financial institution constituted by or under any Central Act, State Act for the time being in force and owned and controlled by the Government;

(o) "Government" means the Government of Rajasthan;

(p) "institutional creditor" means the State Bank of India or any Subsidiary Bank within the meaning of clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (Central Act No. 38 of 1959) or any Scheduled Bank;

(q) "interest" means any amount payable in excess of the principal amount borrowed or pecuniary obligation incurred, by whatsoever name, such amount may be called, whether the same is expressly mentioned or not in the document or contract, if any;

(r) "marginal farmer" means a cultivator with an un-irrigated land holding upto one hectare or irrigated land holding upto one-half hectare;

(s) "member" means a member of the Commission and includes the Chairman;

(t) "penal interest" means any amount payable in excess of interest on a debt;

(u) "prescribed" means prescribed by rules under this Act;

(v) "principal amount" means the amount originally advanced together with the amount, if any, as has been subsequently advanced, notwithstanding any stipulation to treat

any interest as capital and notwithstanding that the debt has been renewed, whether by the same farmer or by his heirs, assignees, or legal representatives or by any other person acting on his behalf or on his interest;

(w) "rules" means rules made under this Act;

(x) "Secretary" means the Secretary to the Commission appointed under sub-section (4) of section 3;

(y) "small farmer" means a cultivator with an un-irrigated land holding upto two hectares or with an irrigated land holding upto one hectare, but more than the holding of a marginal farmer; and

(z) "State" means the State of Rajasthan.

3. Constitution of the Commission.- (1) The Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, by notification in the Official Gazette, constitute a Commission by the name, "The Rajasthan State Farmers Debt Relief Commission", for the purpose of exercising the powers and performing the functions under this Act.

(2) The Commission shall consist of five members, namely:-

(i)	one retired High Court Judge	: Chairman;
(ii)	a retired officer of Indian Administrative Service who has served as Additional Chief Secretary or Principal Secretary to the Government	: Member;
(iii)	a retired Judicial Officer who has served as District and Session Judge	: Member;
(iv)	a retired officer with experience of banking/accounts/financial sector	: Member; and
(v)	one agricultural expert	: Member;

(3) The Chairman and Members shall be nominated by the Government.

(4) The Government shall appoint an officer from Rajasthan Cooperative Services (not below the rank of Additional Registrar) as Secretary and other staff as may be necessary, to assist the Commission in such manner as may be prescribed.

(5) In the discharge of their duties, the Secretary and other staff referred to in sub-section (4) shall be subject to the administrative control of the Chairman.

4. Term of the Commission and conditions of service of members.- (1) The term of the Commission shall be three years. The term of the office of the Chairman and Member shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the Government may extend such period, if deem necessary.

(2) A member may, by writing under his hand and address to the Government, resign from his office at any time.

(3) A vacancy arising by reason of resignation of any member of the Commission under sub-section (2) or otherwise shall be filled up in accordance with the provisions contained in section 3 of this Act:

Provided that the person so appointed shall hold office only for the remaining period of term of the person, in whose place he is appointed.

(4) The Government may remove any member, if he,-

(a) is declared as undischarged insolvent;

(b) becomes incapable of continuing as such, due to physical or mental disability;

(c) becomes unsound mind and stands so declared by a court of competent jurisdiction;

(d) has been convicted for an offence, which in the opinion of the Government involves moral turpitude or financial irregularities;

(e) has, in the opinion of the Government, abused his official position so as to render his continuance in office prejudicial to public interest:

Provided that the person may be given an opportunity of being heard before proceeding as such.

(5) The Commission shall regulate its own procedure for the conduct of its business.

(6) The salary and allowances, and the other terms and conditions of service of the Chairman and members shall be such as may be prescribed.

5. Powers and functions of the Commission.- (1) The Commission shall have all such powers as are necessary for achieving the objects of this Act, and in particular,-

(a) to recommend to the Government either *suo moto* or on application, after such enquiry as it may deem fit and subject to such general guidelines as may be prescribed by Government to declare a district or districts or part thereof or a crop or crops as distress affected area, or distress affected crop, as the case may be, and on application to declare a farmer as distress affected farmer subject to such enquiry and guidelines;

(b) to fix, in the case of creditors other than institutional creditors, a fair rate of interest and an appropriate level of debt, to be payable as the Commission may consider just and reasonable by a farmer declared as distress affected or related to an area or crop declared as distress affected area or distress affected crop as per section 6, as the case may be;

(c) to undertake conciliation for settlement of disputes between indebted farmers and creditors, other than institutional creditors, on the basis of the fair rate of interest and appropriate level of debt fixed under clause (b);

(d) to adjudicate disputes between farmers described in clause (b) and creditors, other than institutional creditors, and to pass awards which shall be binding on both parties:

Provided that before passing an award as per this clause a creditor shall be given a reasonable opportunity of being heard;

(e) to enter into negotiations with the creditors for loan waiver, interest rate relief, loan rescheduling or loan moratorium to farmers described in clause (b);

(f) to recommend to the Government regarding the extent and the manner in which the debt relief is to be granted to the farmers;

(g) to recommend to the Government to take over the entire or partial debt and exonerate the farmers, from the effects of the debt;

(h) to recommend to the Government to do such acts as may be necessary to ensure that future credit requirements of the farmers are met through such agencies, as may be prescribed;

(i) to make periodical reports to the Government generally on any matter pertaining to farmer indebtedness; and

(j) to perform such other functions and exercise such other powers, as may be prescribed.

(2) The Commission may issue orders keeping in abeyance the repayment of all debts of farmers described in clause (b) of sub-section (1) to the creditors, considering the nature of crops and crop loss, for a period not less than one year but not more than three years:

Provided that such orders shall be subject to the awards and directions under sub-section (1).

(3) An award passed by the Commission under clause (d) of sub-section (1) shall be final and shall not be called in question in any court.

(4) The awards of Commission under clause (d) of sub-section (1) shall be executed under the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) as if it is a decree of a Civil Court.

(5) The Commission shall, for the purpose of exercising the powers conferred by or under this Act, have all the powers of a Civil Court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) issuing Commission for the examination of witnesses or for local investigation;

(e) inspecting any property or thing concerning which any decision has to be taken;

(f) requisitioning of any public record or copy thereof from any court, Commission or office; and

(g) any other matter which may be prescribed.

(6) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, any debt relief granted to a farmer by way of waiver of principal, interest and penal interest, if any, shall not exceed seventy five per cent if such debt is two lakh rupees or less and fifty per cent, if such debt exceeds two lakh rupees, arrived at after settlement or rupees four lakh whichever is less or as notified by the Government time to time.

(7) The Commission is empowered to review its decision.

6. **To declare an area or crop as distress affected area or distress affected crop.-** As soon as may be after the receipt of a recommendation under clause (a) of sub-section (1) of section 5, the Government shall declare an area or crop as a distress affected area or a distress affected crop, as the case may be.

7. Application for debt relief.- A farmer claiming any debt relief under this Act shall file an application before the Commission in manner and in the form as may be prescribed.

8. Sittings of the Commission.- (1) The Commission shall hold its sittings at such places and at such times as may be determined by it:

Provided that the Commission shall hold its sittings in the respective district/districts declared as distress affected areas to consider matters relating to the distress affected areas.

(2) The quorum for the sitting of the Commission shall be three.

(3) The Commission may in appropriate cases it deems fit, hold sittings in districts by constituting a Bench consisting of two or more members:

Provided that in case of the Bench constituted by the Commission, the quorum for the meeting of the Bench shall be the total number of members of that Bench or two, whichever is less.

9. Special provisions in respect of settlement of certain loans taken by farmer.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law or contract or decree or order of any Court or Tribunal, a member authorised by the Commission may initiate negotiation to,-

(a) reschedule short term loans into medium term loans and medium term loans into long term loans, in respect of the debts availed of by a farmer from financial institution, or

(b) provide necessary facilities for one time settlement of agriculture loans falling under the category of non-performing assets, as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India, or

(c) waive penal interest as per the norms fixed by the Reserve Bank of India, with the concurrence of the Reserve Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development.

(2) Where any settlement of loan is made under sub-section (1), the said farmer shall be bound to repay such loan to the bank concerned, within the period allowed by such bank.

10. Rescheduling of loans taken by a farmer from financial institutions.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law or contract or decree or order of any Court or Tribunal, the Commission may reschedule the recovery of loans availed by a farmer described in clause (b) of sub-section (1) of section 5 on or before the date of declaration as a distress affected area, distress affected crop under section 6 or a distress affected farmer from any financial institution notified by the Government for this purpose.

(2) Where the rescheduling of the loan is made under sub-section (1), the farmer shall be bound to repay such loan with interest to the financial institution concerned within the period allowed by Commission:

Provided that the Commission may, on application by the farmer, exempt him, by order, from the repayment of the same for the period so rescheduled, for the reasons to be recorded:

Provided further that the farmer shall be bound to repay the same on such later dates, so fixed by the Commission.

11. Bar of suits, applications and other proceedings.- No suit for recovery of debt shall be instituted, or application for execution of a decree in respect of a debt shall be made against a farmer described in clause (b) of sub-section (1) of section 5 and no appeal, revision petition or application for review against any decree or order in any such suit or application shall be presented or made against such a farmer in any Civil Court, or Tribunal or other authority, and such suits, applications, appeals and petitions instituted or made against such a farmer before the date of declaration of a district or part thereof as a distress affected area and pending on such date shall stand stayed, for such period as the Commission may recommend in that behalf.

12. Payment of debt in instalments.- (1) Notwithstanding anything contained in any law or contract or in any decree or order of any Court or Tribunal, a farmer described in clause (b) of sub-section (1) of section 5 may discharge his debts in suitable instalments together with fair rate of interest as recommended by the Commission on the principal amount outstanding at the time of each payment, in the manner as may be directed by the Commission and on payment of the same in the manner directed by the Commission, the whole debt shall be deemed to be discharged.

(2) Where any installment of a debt is not paid on the due date as directed by the Commission, the creditor shall be entitled to recover the same in the manner as may be determined by the Commission:

Provided that before taking decision by the Commission under this section, the farmer shall be given an opportunity of being heard.

13. The debt shall be deemed as fully repaid.- Notwithstanding anything contained in this Act or in any other law or contract or in any decree or order of any Court or Tribunal, if a farmer has repaid the principal amount taken as loan by him and an amount equal to it to

a creditor, other than institutional creditor, the debt shall be deemed to be fully discharged by the said farmer.

14. Annual report to be laid before the House of the State Legislature.- (1) The Commission shall prepare a report of its function of that year under this Act and the same shall be submitted to the Government in such form on or before such date as may be prescribed.

(2) The Annual report submitted to the Government by the Commission under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature, as soon as may be, after the same is received by the Government.

15. Accounts and Audit.- (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, in such form as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by the Accountant General at such intervals, as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Commission to the Accountant General.

(3) The audited report shall be placed before the House of the State Legislature.

16. Overriding effect of Act.-The provisions of this Act or any rule or order made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law, other than this Act, or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

17. Bar of jurisdiction of civil court.- No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under the Act or the rule made thereunder are required to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Commission or the Government:

Provided that nothing in this section shall be applicable to the execution proceedings under sub-section (4) of section 5.

18. Members of the Commission shall be public servants.- Every member of the Commission nominated under sub-section (3) of section 3 and the Secretary and other staff appointed under sub-section (4) of section 3 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

19. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member of the Commission or Secretary or other officers in respect of anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act, or the rules made thereunder.

20. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, as occasion requires, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to them to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid before the House of the State Legislature.

21. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।